principle in mind. This has also been a recommendation of the Committee on Bank Reforms. As I said, this is an issue which is kept in mind by the banks when they take a decision in regard to loan proposals.

श्री राघवजी: सभापति महोदय, राष्ट्रव्यापी मंदी चल रही है और इस मंदी के दौर में भारत के जो लघु उद्योग हैं, बड़ी संख्या में बंद हो गये हैं, कुछ बंद होने के कगार पर खड़े हैं। उनकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन लघु उद्योगों ने अपना मूलधन और मूलधन के बराबर ब्याज भी दे दिया है लेकिन उनके खिलाफ भी रिकवरी ज्यादा इसलिए निकल रही है कि ब्याज की राशि मूलधन से भी बहुत अधिक है अथवा वह उतनी रकम देना चाहते हैं जितना मूलधन है उतना ही ब्याज देना चाहते हैं। जैसे आपने आय कर में कर विवाद समाधान योजना लागू की थी ऐसी कोई वन टाइम योजना सेटलमेंट की लघु उद्योगों के लिए लागू करेंगे जो लोग मूलधन और ब्याज के बराबर देना चाहते हैं या दे दिया है?

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, इस तरह की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां कहीं कर्ज बाकी रह गये हैं वहां पर उनकी जो सूद की राशि है वह कर्ज की राशि से ज्यादा हो गई है। यह सारे मामले लघु उद्योग इकाइयों के मालिकों को संबंधित बैंकों के साथ बैठ कर निपटारा करने पड़ेंगे। सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है।

श्री नरेश यादव: सभापति महोदय, मैं श्रीमती कमला सिन्हा जी के द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न और माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर के आलोक में अपनी यह सहमति व्यक्त करते हुए कि बैंकों का पैसा, देश का पैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन साइक्लोन से, नेशनल कैलामिटी से इस देश का जो नागरिक किसान या गरीब आदमी जिसने बैंक से लोन लिया था और बरबाद हो गया, उसके प्रति भारत सरकार या माननीय वित्त मंत्री क्या राय रखते हैं यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री संघ प्रिय गौतम: समान राय है।

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, जहां तक किसानों का सवाल है, माननीय सदस्यों को याद होगा अपने बजट भाषण में मैंने उसके बारे में कुछ चर्चा की थी और उसके बाद, उस बजट भाषण के बाद, रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इसके बारे में आदेश निर्गत किए और बैंकों को यह निर्देश दिया है कि किसानों के कर्ज का जहां तक सवाल है वह बातचीत करके इंडिवीजुअल केसेज के आधार पर उनको तय करें और किसी किसान को उसके चलते परेशानी नहीं हो यह सुनिश्चित करें। ऐसे निर्देश रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सारे बैंकों को भेज दिया है और उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है।

MR. CHAIRMAN: Next Question 332,*

डा॰ (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल ...(व्यवधान)

मौलाना हबीबुर्रहमान मोमानी:*

श्री सभापति: नहीं, नहीं। बस हो गया ...(व्यवधान) आधा घंटा हो गया है ...(व्यवधान) उर्मिला पटेल...

मौलाना हबीबुर्रहमान मोमानी:*

श्री सभापति: वह ठीक है ...(व्यवधान) वह सवाल नहीं है। उर्मिला पटेल, नेक्स्ट क्वेश्चन (व्यवधान) आधा घंटा हो गया है एक सवाल पर।

मौलाना हबीबुर्रहमान मोमानी:*

श्री सभापति: वह ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ...(व्यवधान) Nothing will go on record.

Development of Handloom Industry in Gujarat

*332. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for development of handloom industry in the country;

(b) if so, the details thereof, Statewise;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) the steps taken or proposed to be taken for development of handloom industry in Gujarat;

(e) whether Government proposed to provide assistance for the development of said industry; and

(f) if so, the details thereof?

*Not recorded.

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Government of India extends financial assistance through a number of schemes and programmes to develop and handloom industry of the country. The main aim and objective of these schemes and programmes are to provide support in comprehensive and coordinated manner to handloom weavers so as to enable them to improve productivity, quality of products and marketing support in order to raise their incomes and, thereby, their standard of living. The details of the schemes are as under:—

1. Project Package Scheme.
2. Handloom Development Centre and Quality Dyeing Unit Scheme,
3. Market Development Assistance Scheme.
4. Development of Exportable products and their Marketing Scheme.
5. Workshed Cum Housing Scheme.
6. Welfare Scheme:
   1. Group Insurance Scheme.
   2. Thrift Fund Scheme.
   3. Health Package Scheme.
   4. New Insurance Scheme for Handloom Weavers.

A brief on major Schemes alongwith central assistance released is at Statement-I. (*See* below) State-wise details of central assistance provided under each scheme during the 8th Five Year Plan is at Annexure *[See* Appendix 185, Annexure No.]. A statement showing scheme-wise details of central assistance released during 1997-98 is at Annexure *[See* Appendix 185, Annexure No. 62].

(d) to (f) The Schemes and Programmes mentioned above are applicable to Gujarat State as well. A statement indicating details of central assistance provided to Gujarat under various schemes during the 8th Five Year Plan and 1997-98 is at Annexure, *[See* Appendix 185, Annexure No. 62].

Statement-I

Brief on Major Schemes Alongwith Central Assistance Released

1. *Project Package Scheme:*— The scheme was introduced in the year 1991-92 with an objective to provide the requisite input in an integrated and coordinated manner to the handloom weavers. The funding pattern under the scheme (both Grant and Loan component) is on the basis of equal sharing of contribution by Central/State Government/Implementing Agencies. The central assistance released under the scheme during 8th five Year is Rs. 8145.68 lakhs and during 1997-98 central assistance to the tune of Rs. 3942.73 lakhs was released.

2. *Handloom Development Centre (HDC)/Quality Dyeing Units (QDU):*— The scheme was introduced in the year 1993-94 with the objective of bringing 30 lakh weavers with 7.5 looms in the Cooperative fold so that the benefits of various schemes accuring to the Handloom Cooperative are available to them. Under the QDU scheme setting up of micro yarn dying unit at the village level were provided for with a view to improve the dyeing practices of the Handloom Sector. During 8th Plan a sum of Rs. 8091.88 lakhs was released as central assistance and during 1997-98, a sum of Rs. 968.53 lakhs was released as central assistance.

3. *Workshed-cum-Housing Scheme:*— The scheme was introduced with the objective to provide a dwelling unit and suitable work place to weavers to improve their productivity and earnings. The assistance under the scheme for Rural Workshed is Rs. 7000/- and for Urban Rs. 10,000/-. For Rural Workshed-cum-Housing the assistance is Rs. 18,000/- and for Urban Rs. 20,000/-.

During the 8th Plan period a sum of Rs. 4745.93 lakhs was released under the scheme and during 1997-98, a sum of Rs. 1302.00 lakhs released as central assistance.

4. *Development of Exportable Products and their Marketing Scheme:*— In order to give substantial impetus to the export of handloom fabrics, made-ups and other handloom items from the country, scheme for Development of Exportable Products and their Marketing has been introduced in 1995-96. During the 8th Five Year Plan a sum of Rs. 75.09 lakhs was released under the scheme and during 1997-98, a sum of Rs. 469.00 lakhs was released as central assistance.

5. *Market Development Assistance (MDA):*— The Market Development Assistance (MDA) Scheme as introduced in the year 1989-90 with an objective to provide support to Handloom Agencies in marketing their handloom products. Under the scheme, the assistance was provide towards rebate/discount and other consumer incentives, interest subsidy, capital/margin money for setting up of show rooms and any other purpose as approved by the State and/or Central Government. The assistance under the scheme was equally borne by the Central and the State Government. The scheme discontinued w.e.f. 1.4.98 has now been approved for continuation for two years i.e. 1998-99 and 1999-2000 with the partial modifications which inter-alia include the assistance towards rebate/ discount, purchase/renovation of showrooms, transportation cost for holding/participation in exhibition and upgradation of design facilities. During the 8th Five Year Plan, a sum of Rs. 25309.93 lakhs and during 1997-98, a sum of Rs 3274.40 lakhs was released as central assistance under the scheme.

6. *Group Insurance Scheme:*— Group Insurance Scheme was introduced in order to meet the socio-economic obligation of weavers towards his family and the uncertainity of his working capacity in old age. During the 8th five Year Plan, a sum of Rs. 339.27 lakhs was released under the scheme and during 1997-98, a sum of Rs. 39.61 lakhs was released as central assistance to various States.

डा० (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने हैंडलूम इंडस्ट्री के विकास के बहुत से प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में इन्फारमेशन दी है। सर, मेरा पहला स्पलीमेंट्री मंत्री जी से यह है कि ये सब स्कीम्स तो बनायी गयी, पैसे का अलाटमेंट हुआ, खर्च भी हुआ, तो पिछले तीन साल में हैंडलूम इंडस्ट्री में कितना बढ़ावा हुआ है और स्पेशली गुजरात में कितना बढ़ावा हुआ है? यह "ए" पार्ट आफ दे क्वेश्चन है। पार्ट "बी" है कि कितने लाभार्थियों को इसमें फायदा हुआ, स्कीमवाइज आपने नहीं दिया है। मंत्री जी यह बताएं और पार्ट "सी" में मैं पूछना चाहती हूं कि एक्सपोर्ट में कितना बढ़ावा हुआ और गुजरात से कितना एक्सपोर्ट हुआ? यह मेरा पहला सप्लीमेंट्री है।

श्री काशीराम राणा: सर, माननीय सांसद श्री ने सवाल उठाया है कि देश में कितना प्रोडक्शन बढ़ा। सर, प्रोडक्शन 1992-93 में था 4,123 मिलियन स्कवायर मीटर्स और वह 1997-98 में बढ़कर हो गया 7,862 मिलियन स्कवायर मीटर्स। सर, वैसे ही सवाल पूछा गया कि कितने लाभार्थी थे और एक्सपोर्ट कितना हुआ है। एक्सपोर्ट भी हैंडलूम का पिछले 3-4 सालों में बढ़ा है। जो एक्सपोर्ट 1991-92 में हुआ था वह था 447 करोड़ रुपए और 1997-98 के दौरान जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ वह 1,859.5 करोड़ रुपए था। इसी तरह से 1998-99 में भी हमारे हैंडलूम का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जहां तक यह पूछा गया कि कितने लाभार्थियों को फायदा हुआ तो मैं कहूंगा कि इसमें से इंप्लायमेंट जनरेट हुआ है। देश में आज करीब 38 लाख लोगों का शायद अनइंप्लायमेंट चल रहा है। करीब 124 लाख लोग आज इसमें रोजगारी हासिल करते हैं जबकि पहले 1991-92 में सिर्फ 116.2 लाख लोग ही इसमें रोजगारी हासिल करते थे। मैं यह जरूर बताऊंगा कि इसमें से 60 परसेंट सिर्फ महिलाएं हैं जो रोजगारी हासिल करती हैं। 12 परसेंट शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं। और 20 परसेंट शैड्यूल ट्राइब के लोग हैं। ऐसे बहुत सारे देश के ये दलित और गरीब लोग हैंडलूम के जरिए रोज़गारी हासिल करते हैं।

डा० (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल): माननीय मंत्री जी ने गुजरात का कुछ स्पेसीफाई नहीं किया। अगर अभी कुछ इन्फर्मेशन हो तो दें, नहीं तो बाद में भेजें। सर, दूसरा मेरा सप्लीमेंटरी है कि यह सब पैसे दिए जाते हैं इसका कुछ सदुपयोग होता है या यह योग्य व्यक्तियों तक पहुंचता है, और उसका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम मंत्री जी ने डिवैलप किया है? एंड "बी" पार्ट ऑफ द क्वश्चन इज़ कि इन लोगों के वे ऑफ लाइफ में इसकी वजह से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या आमदनी बढ़ी है या नहीं, इसका कोई सोशियो-इकोनोमिक सर्वे मंत्री जी कराना चाहते हैं? अगर कोई प्लानिंग किया है तो वह क्या प्लानिंग है? अगर नहीं किया है तो क्या करना चाहते हैं, यह मंत्री जी बतायेंगे?

श्री काशीराम राणा: सर, वैसे गुजरात के बारे में मैं बताऊंगा, मेरे पास फिगर्ज़ हैं। गुजरात में वैसे 70 हजार लोग हैं। लेकिन वहां पॉवरलूम पर जो इतना कंसेंट्रेशन हुआ, पॉवरलूम में इतना कंवर्ज़न हुआ जिसकी वजह से हैंडलूम कम होती गई। 1986-87 में जो हमने सेंसेज कराई थी उसके मुताबिक गुजरात में लोगों की संख्या 22,573 है। अभी नई सेंसेस हो रही है। दस साल के बाद हैंडलूम की एक सेंसेस होती है। मेरी जो इन्फर्मेशन है या मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार यह जो 22 हजार है, इसमें कमी हो रही है और करीब 6-7 हजार लोग बचे होंगे फिर भी हम गुजरात में हैंडलूम की एक्टिविटी बढ़े, इसके द्वारा रोज़गारी बढ़े, इसका हम अभी प्रयास कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि पॉवरलूम ज्यादा होता जा रहा है इसलिए इसका असर हैंडलूम के ऊपर है।

डा० (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल): गुजरात में इसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे।....**(व्यवधान)**

श्री काशीराम राणा: गुजरात के बारे में जो फंड रिलीज़ किया गया एटथ फाइव ईयर प्लान में वह किया गया 1,061.12 लाख वह फंड वैसे दिया गया था और 1997-98 में 104.71 लाख वह उसका

दिया गया था। मान्यवर, वैसे तो गुजरात के बारे में जैसे हैंडलूम की एक्टिविटी कम होती जा रही है इसके मुताबिक जो हमारी योजनाएं हैं, क्योंकि हैंडलूम वीवर्ज़ के लिए हम बहुत सारी योजनाएं करते हैं, इसलिए राज्य सरकार से भी मैंने अनुरोध किया कि इन योजनाओं का पूरा लाभ राज्य के वीवर्ज़ को मिले इसके लिए पग उठाने चाहिएं, क्योंकि स्कीम्ज का लाभ नहीं उठाया जा रहा है। जैसे वर्कशैड-कम-हाउसिंग स्कीम है, ग्रुप इंशोरेंस स्कीम है, हेल्थ पैकेज योजना है, इनका लाभ उठाया जाए, ऐसा भी मैंने राज्य सरकार से अनुरोध किया है। सर, ये जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, वैसे उसका बहुत ही उपयोग हो रहा है जहां पर हैंडलूम का कंसट्रेशन हो रहा है वहां पर, क्योंकि हमारे पास ऐसी अच्छी योजनाएं हैं, जैसे प्रोजैक्ट पैकेज योजना है, हैंडलूम डिवैलपमेंट सैंटर एंड क्वालिटी डाईंग यूनिट स्कीम है। ...**(व्यवधान)**

डा० (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल: यह तो आपने जवाब में बताया है।

श्री काशीराम राणा: सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मार्च, 1998 से जो योजनाएं बंद थीं, जैसे जनता प्लाट स्कीम थी, मार्केटिंग डिवेलपमेंट असिस्टेंस स्कीम थी, इसमें फिर से मार्केटिंग डिवेलपमेंट असिस्टेंस की स्कीम कंटीन्युटी में 1 अप्रैल, 1998 से शुरू कर दी है और मुझे लगता है कि जो आज इंवेंटरी हो रही है हैंडलूम क्लॉथ की हैंडलूम क्लॉथ की इंवेंटरी को कम करने में उसकी सहायता करेंगे। इसलिए उपयोगिता तो है ही और साथ-साथ उपयोगिता अच्छी तरह से हो, इसलिए हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और उसका असर वीवर्ज के पैटर्न ऑफ लाइफ पर भी बहुत अच्छा हुआ है सोशली एंड इकोनोमिकली उसमें प्रोग्रैस हुई है। उसकी लाइफ पर बहुत अच्छी तरह से उसका इंपैक्ट हुआ है। इस योजना से वीवर्ज की सोशल एंड इकोनोमिक कंडीशन पर असर हुआ है।

डा० (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल: कोई स्टडी या सर्वे किया है?

श्री सभापति: अब हो गया। अब आपका हो गया।

श्री अनंतराय देवरशंकर दवे: माननीय सभापति जी, 7-8 महीने पहले गुजरात में जो बड़ा साइक्लोन आया, उस की वजह से वहां के कई रूरल एरियाज में गरीब लोगों को भारी नुकसान हुआ। माननीय मंत्री जी ने यहां बहुत सी स्कीम्स दी हुई है, मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि जो वर्कशेड और हाउसिंग स्कीम है, उस में रूरल के लिए 18 हजार और अर्बन के लिए 20 हजार रुपए आप ने रखा है तो साइक्लोन हिट एरिया में जो वीवर्स अफेक्टेड हुए हैं, उन को आइडेंटीफाइ कर के डिपार्टमेंट की ओर से यह राशि गुजरात सरकार को भेजने की तजबीज करेंगे?

श्री काशीराम राणा: सर, हैंडलूम वीवर्स के लिए यह वर्कशेड कम हाउसिंग योजना बनाई गई थी और यह अभी भी चालू है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कांडला में जो साइक्लोन आया था, उस में अफेक्टेड वीवर्स को सरकार कोई सहायता या रिलेक्सेशन देगी या नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि अभी वर्कशेड कम हाउसिंग स्कीम में हम जिस प्रकार से सहायता कर रहे हैं, यह स्कीम वैसे तो पूरे देश में लागू है और उस में बहुत सारे हाउसेस को नुकसान हुआ है और वैसे तो सभी की इस में सहायता होनी ही चाहिए, मगर हैंडलूम वीवर्स को इस में नुकसान हुआ है तो इस संबंध में सारी जानकारी आने के बाद सरकार उस पर जरूर सोचेगी।

मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी: महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वैसे तो कागज में स्कीम्स बहुत हैं। बिहार में जो झारखंड अलग राज्य बनने जा रहा है, वहां तो मुसलमानों में 99 परसेंट बुनकर हैं और पिछले 4-5 दिनों में मैं ने वहां का दौरा किया है और पाया है कि अब वहां हथकरघे एकाध हैं भी तो वह भी बंद पड़े हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इस बाबत सर्वे कराकर बिहार के हथकरघा चलाने वाले बुनकरों की खराब हालत के सिलसिले में कुछ कार्यवाही करेंगे? वहां आप जो कुछ दे रहे हैं वह बुनकरों तक पहुंचता है कि नहीं? इस के साथ ही जो बुनकर करघा लगाना चाहते हैं, उन को कोई सहायता मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? महोदय, पूरे बिहार के अंदर हैंडलूम तबाह को गया है और पिछली 18 तारीख को उसी सिलसिले में बिहार शरीफ में जबर्दस्त मुजाहिरा बुनकरों ने किया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी जिलों की यही हालत है। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी इस स्थिति का सर्वे कराकर देखें कि वाकयी वहां पर हैंडलूम है या नहीं है? हैंडलूम के नाम पर जो कपड़ा एक्सपोर्ट होता है, क्या सचमुच में वह हैंडलूम का कपड़ा है या पावरलूम का कपड़ा है या मिल का कपड़ा है, इस को भी देखने की जरूरत है। महोदय, कागज में तो आ जाता है कि इतने हैंडलूम के कपड़े का एक्सपोर्ट बढ़ गया, पर क्या वाकयी वह हैंडलूम का कपड़ा है और वाकयी एक्सपोर्ट हुआ है, इस को आप देखेंगे और इस सिलसिले में क्या कार्यवाही करेंगे, यह बताने का कष्ट करें?

†**मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी:** महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वैसे तो कागज में स्कीम्स बहुत हैं। बिहार में जो झारखंड अलग राज्य बनने जा रहा है, वहां तो मुसलमानों में 99 परसेंट बुनकर हैं और पिछले 4-5 दिनों में मैं ने वहां का दौरा किया है और पाया है कि अब वहां हथकरघे एकाध हैं भी तो वह भी बंद पड़े हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इस बाबत सर्वे कराकर बिहार के हथकरघा चलाने वाले बुनकरों की खराब हालत के सिलसिले में कुछ कार्यवाही करेंगे? वहां आप जो कुछ दे रहे हैं वह बुनकरों तक पहुंचता है कि नहीं? इस के साथ ही जो बुनकर करघा लगाना चाहते हैं, उन को कोई सहायता मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? महोदय, पूरे बिहार के अंदर हैंडलूम तबाह को गया है और पिछली 18 तारीख को उसी सिलसिले में बिहार शरीफ में जबर्दस्त मुजाहिरा बुनकरों ने किया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी जिलों की यही हालत है। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी इस स्थिति का सर्वे कराकर देखें कि वाकयी वहां पर हैंडलूम है या नहीं है? हैंडलूम के नाम पर जो कपड़ा एक्सपोर्ट होता है, क्या सचमुच में वह हैंडलूम का कपड़ा है या पावरलूम का कपड़ा है या मिल का कपड़ा है, इस को भी देखने की जरूरत है। महोदय, कागज में तो आ जाता है कि इतने हैंडलूम के कपड़े का एक्सपोर्ट बढ़ गया, पर क्या वाकयी वह हैंडलूम का कपड़ा है और वाकयी एक्सपोर्ट हुआ है, इस को आप देखेंगे और इस सिलसिले में क्या कार्यवाही करेंगे, यह बताने का कष्ट करें?

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

دیکھیں کہ واقعی وہاں پر ہینڈلوم ہے یا نہیں ہے۔ ہینڈلوم کے نام پر جو کپڑا ایکسپورٹ ہوتا ہے کیا سچ مچ میں وہ ہینڈلوم کا کپڑا ہے یا پاورلوم کا کپڑا ہے یا مل کا کپڑا ہے۔ اسکو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مہودے کاغذ میں تو آجاتا ہے کہ اتنے ہینڈلوم کے کپڑے کا ایکسپورٹ بڑھ گیا ہے پر کیا واقعی وہ ہینڈلوم کا کپڑا ہے اور واقعی ایکسپورٹ ہوا ہے۔ اسکو آپ دیکھیں گے اور اس سلسلہ میں کیا کارروائی کریں گے۔ یہ بتانے کا کشٹ کریں۔†

श्री काशीराम राणा: सर, माननीय सांसद ने सच कहा कि बहुत सारे मुस्लिम भाई-बहन हैंडलूम के कार्य में लगे हैं और हैंडलूम वीवर के नाते उस में जो भी संभव है, वह पूरी सहायता संरकार अपनी योजना के तहत करती है। अब जो कपड़ा पावरलूम से बना है और वह हैंडलूम में जाता है, हैंडलूम का मार्क लगकर आता है, इसे रोकने के लिए एक कानून है। लेकिन इस कानून का एक्जीक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है। सभापति जी, लास्ट टाइम मैंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि करीब साढ़े 4 हजार इंस्पेक्शंस ऐसे केसेज में किए गए और सिर्फ 14-15 ही ऐसे एफ०आई०आर० दर्ज हुए जिस कारण मुझे लगता है कि इस कानून का अच्छी तरह से इम्पलीमेंटेशन नहीं होता। महोदय, मैं ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि राज्य में हैंडलूम एक्टिविटी अच्छी तरह से बढ़े, यह आप की जिम्मेदारी है और ऐसी कोई गैर-नीति न हो, इसे रोकने के लिए आप प्रयास करें। मान्यवर, इसी प्रकार हमारी योजना के लिए यहां से जो पैसा जाता है, उसमें हमारी बहुत सारी योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू चलती हैं। हमने बार-बार टोका है राज्य सरकार को, कि हमारा पैसा जो है वह सभी बेनिफिसरीज को आपके थ्रू पहुंचना चाहिए, योजना में लगना चाहिए। मुझे दुख है कई राज्य सरकारें इसका पूरा लाभ नहीं उठाती है। इतना ही नहीं, जो हमारा पैसा योजना के अन्तर्गत हम राज्यों को एलोकेशन करते हैं, उसमें से बहुत सारे पैसे का डायवर्सन हो जाता है, ओवरहैड के नीचे चला जाता है। इसको रोकने के लिए हम भी कोशिश करते हैं और राज्य सरकारों को भी हम बार-बार ताकीद करते हैं। जहां तक बात रही बिहार की, तो सर, बिहार में भी कोई अन्याय हमारी सरकार की ओर से कहीं नहीं हुआ है। जो भी योजना उनकी आती है, योजना को स्क्रूटनाइज करते हैं और बहुत सारी योजनाएं हम वैसे ही सैंक्सन कर देते हैं और इसके अंतर्गत जो भी स्कीम हैं, सभी का पैसा, सिवा एक एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट की मार्केटिंग का जो है इसके हैड के नीचे दिया गया पैसा नहीं खर्च हुआ, बाकी सभी का खर्च हुआ है। अगर बिहार से और भी कोई प्रपोजल आएगा तो सरकार उस बारे में जरूर सोचेगी।

श्री रूमन्दला रामचन्द्रैया: सभापति महोदय, आपके माध्यम से हैंडलूम मंत्री जी से मेरा यह प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में लाखों जो लोग बुनकर है, उनकी भलाई के लिए इन्होंने क्या प्लान बनाया है? आप जो कुछ प्लान बनाते हैं, वह कागज पर रहते हैं। आप कोपरेटिव सोसायटियों के लिए इतनी स्कीम देते हैं, लेकिन इंडीविजुअल वीवर के लिए कोई आपकी स्कीम नहीं है। मेरी आपसे यह विनती है कि वीवर के लिए एक आइडेंटिटि-कार्ड रहे, उसके माध्यम से उन्हें सहायता मिले आंध्र प्रदेश सरकार तो बहुत कुछ वीवर्स के लिए कर रही है, लेकिन केन्द्र सरकार को परिस्थिति के अनुसार जो उपयुक्त कार्यक्रम लेना चाहिएं वह नहीं ले रही है। ऐसा क्यों है? आपके माध्यम से फिर एक मर्तबा हैंडलूम मिनिस्टर से मेरी यह विनती है कि कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें।

श्री काशीराम राणा: सर, आंध्र प्रदेश में हैंडलूम की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए सरकार सीरियसली बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है। सारे देश भर में हमारी जो एलोकेशन होती है, इसमें तमिलनाडु नंबर एक पर है और इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। जो एट्थ फाइव ईयर प्लान थे, हमने उसमें 127.49 करोड़ रुपये सभी योजना के लिए बिहार को दिया। ...**(व्यवधान)**.

मान्यवर, आप सभी जानते हैं कि जो हमारे यहां जनता क्लाथ स्कीम थी, वह एक अच्छी स्कीम थी, इस जनता क्लाथ स्कीम से हमारे हैंडलूम की प्रवृत्ति भी बढ़ती थी और गरीब लोगों को कपड़ा भी बहुत एफोर्डेबल प्राइस पर मिलता था, लेकिन हम जानते हैं कि जब इस जनता क्लाथ स्कीम के नाते गड़बड़ हुई,

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

मिसमैनेजमेंट हुआ तो उसकी वजह से पूरी जनता क्लाथ स्कीम, चाहे खराबियां बिहार में होती हैं या और भी स्टेट में हुई हैं, लेकिन इन खराबियों की वजह से यह स्थिति हुई। दूसरा जो सवाल आपने किया है कि अभी इंडीविजुअल वीवर्स को आप कोई सहायता करेंगे या नहीं, It is a suggestion for action. I will certainly look into it.

श्री जलालुदीन अंसारीः सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देश के अंदर जो करघा उद्योग है, इसके लिए अभी तक जो भी योजनाएं चलाई गईं और जिसकी मोनेटरिंग का दावा हमारे माननीय मंत्री जी करते हैं, लेकिन क्या यह सच्ची रिपोर्ट नहीं कि इस करघा उद्योग में काम करने वाले लोगों की संख्या घटती चली जा रही है? यह इसलिए है कि उनको न तो नियमित सूत की सप्लाई होती है और न उनके जो कपड़े बनते हैं उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था है और जैसा मंत्री जी ने भी कहा, जनता धोती, साड़ी जो है, उसकी क्वालिटि इतनी खराब है कि गरीब आदमी भी उसको पहनना नहीं चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि उसकी क्वालिटि ठीक करने के लिए प्रयास हों, सूत की नियमित आपूर्ति उनको हो और जो उसके कपड़े बनते हैं उसको गवर्नमेंट खरीद कर बिक्री केन्द्र के माध्यम से बिकवाए। आज स्थिति यह है कि कुछ लोग धीरे धीरे इस उद्योग को छोड़कर रिक्शा, टमटम आदि चला रहे हैं, खेती में जाकर खेती कर रहे हैं। आप देखिए, बिहार में जो बड़े-बड़े सेंटर थे भागलपुर, मधुबनी, बिहार शरीफ, गया, जहां दस-दस हजार हथकरघा बुनकर थे, आज वहां मुश्किल से सौ या चार सौ हथकरघा बुनकर मिलेंगे। मैं चाहता यह हूं मंत्री जी से, कि यह जो स्वदेशी का आपका राष्ट्रीय एजेंडा है नई सरकार का, उस एजेंडे के तहत जो यह गरीब सेक्शन बुनकर है, इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिन्दू भाई भी हैं, दोनों हैं, और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी और उनकी रोजी-रोटी और विकास की दृष्टि से भी हथकरघा उद्योग धीरे-धीरे, कुछ राज्यों को छोड़कर, देश के अन्य राज्यों में यह समाप्त होने की ओर है। तो क्या इस उद्योग की सुरक्षा, विकास और विस्तार के लिए आपकी कोई विशेष योजना है? अगर विशेष योजना नहीं है तो क्या सरकार कोई विशेष योजना इनकी सुरक्षा, इनके विकास और इस उद्योग के विस्तार के लिए बनाना चाहती है? हम चाहेंगे कि इस बारे में आप सदन को बताएं ताकि इस उद्योग का और इसमें लगे गरीबों का लाभ हो सके।

†[شری جلال الدین انصاری: سبھاپتی مہودے - میں مانیہ منتری جی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیش کے اندر جو کرگھا ادیوگ ہے اسکے لئے ابھی تک جو بھی یوجنائیں چلائی گئیں اور جسکی مانیٹرینگ کا دعوی ہمارے مانیہ منتری جی کرتے ہیں - لیکن کیا یہ سچی رپورٹ نہیں کہ اس کرگھا ادیوگ میں کام کرنے والے لوگوں کی تعداد گھٹتی چلی جا رہی ہے یہ اسلئے ہے کہ ان کو نہ تو باقاعدہ سوت کی سپلائی ہوتی ہے اور نہ انکے جو کپڑے بنتے ہیں اسکی مارکیٹنگ کا انتظام ہے اور جیسا منتری جی نے بھی کہا - جنتا دھوتی - ساڑی جو ہے اسکی کوالٹی اتنی خراب ہے کہ غریب آدمی بھی اسکو پہننا نہیں چاہتا - میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسکی کوالٹی ٹھیک کرنے کے لئے پریاس ہوں - سوت کی باضابطہ سپلائی انکو ہو اور جو اسکے کپڑے بنتے ہیں اسکو گورنمنٹ خرید کر بکری کیندر کے ذریعہ سے بکوائے -

آج حالت یہ ہے کہ کچھ لوگ دھیرے دھیرے اس ادیوگ کو چھوڑ کر رکشا ٹم ٹم وغیرہ چلا رہے ہیں - کھیتی میں جا کر کھیتی کر رہے ہیں - آپ دیکھئے بہار میں جو بڑے بڑے سنٹر بھاگلپور - مدھوبنی بہار شریف - گیا - جہاں دس دس ہزار ہتھکرگھا بنکر تھے -

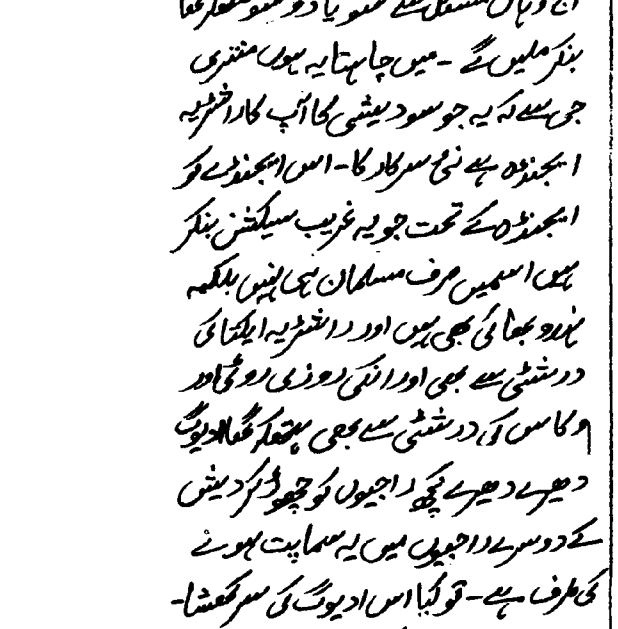

श्री काशीराम राणा: सर, हथकरघा क्षेत्र का जो सवाल है, उसके विकास का सवाल है, उसमें से रोजगार निर्माण का सवाल है, इसमें हिन्दु-मुस्लिम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं बहुत साफ शब्दों में सदन को कहना चाहता हूं कि न कभी ऐसा सोचा गया होगा, न कभी ऐसा सोचें क्योंकि एक ऐसे क्षेत्र में सरकार लोगों का पैसा पहुंचा रही है जिसमें कि इस देश के विकास के लिए गरीब लोग अपना योगदान दें। जैसा मैंने पहले बताया है कि बहुत सारे मुस्लिम भाई-बहन, वह भी बहुत गरीब, वही इस क्षेत्र में हैं और उनको इस का लाभ पहुंचाकर, उनके लिए रोजगार का निर्माण करके ताकि उनका आर्थिक और सामाजिक जीवन ऊंचा हो, इसके लिए सरकार बहुत सारे प्रयत्न कर रही है। जहां तक संख्या का सवाल है, मैं कहूंगा कि अपनी दी हुई संख्या पर मैं अभी भी कायम हूं क्योंकि संख्या बढ़ रही है। हैंडलूम क्षेत्र में जैसा मैंने बताया कि गुजरात में संख्या कम हो रही है तो नार्थ-ईस्ट रीज़न में वे अपनी जीविका इसी हथकरघे से ही चलाते हैं। जैसा मैंने बताया कि इसमें 60 परसैंट महिलाएं हैं, नार्थ-ईस्ट रीज़न में तो सभी 100 प्रतिशत महिलाएं हैं जो हैंडलूम में काम करके अपनी रोज की जीविका चलाती हैं। जहां तक क्वालिटी का सवाल है, हैंडलूम की क्वालिटी सुधारने के लिए हम देश के कई प्रान्तों में सैंटर चला रहे हैं, कम्प्यूटराइज्ड डिज़ाइन सैंटर भी हमने खोले हैं। तो इस बारे में और भी सैंटर खोलकर हम देखेंगे कि उसकी क्वालिटी कैसे अच्छी बनाई जा सके। इतना ही नहीं, हैंडलूम के बारे में भी कोई रिसर्च हो कि जो उत्पादन होता है, वह उत्पादन अधिक किसी तरह से हो, उसकी लाइफ और भी बढ़े, इसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। सूत आपूर्ति के बारे में अभी कहा गया, तो हम चाहेंगे कि सूत उसको मिल गेट प्राइस पर मिले, उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार मिले और इसके लिए हमने हैंक यार्न आब्लीगेशन भी लगाए हैं कायदे पर आधारित। इतना ही नहीं, हमने जो हैंडलूम रिज़र्वेशन एक्ट है, 11 आइटम ऐसी बनाई कि वे उसके लिए रिज़र्व रखें ताकि हैंडलूम में काम करने वाले लोगों को सूत मिले और सस्ता भी मिले।

श्री मोहम्मद आज़म खान: सर, बुनकरों की हालत, चाहे वे हैंडलूम के हों या पावरलूम के हों, दोनों की हालत बहुत खराब है। दरअसल हाथ से काम करने वाले बुनकर हों या बिजली की मशीन से काम करने वाले, जो बुनियादी चीज़ है उनको जिंदा रखने वाली, उनको तरक्की देने वाली, वह सूत है। सूत नहीं मिलेगा तो कपड़ा नहीं बनेगा, साड़ी नहीं बनेगी, टावल नहीं बनेगा, चादर नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगा। पिछले दिनों एक तजुर्बा हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब बुनकरों ने खुदकशी करनी शुरू की थी, जिस तरह किसानों ने की थी, और तब सब्सिडाइज्ड रेट पर उन्हें सूत उपलब्ध कराया गया था और सरकारी डिपो भी खोले गए थे। वह स्कीम 5-6 महीने चली थी और उसके बाद वह खत्म हो गई थी। तो क्या सरकार के सामने कोई ऐसी योजना है, बुनकरों को जिंदा रखने के

लिए, उन्हें रोटी देने के लिए? क्योंकि जिस दाम पर उन्हें सूत मिलता है उस दाम पर बना हुआ सामान जब मार्किट में जाता है और जब पावरलूम का सामान भी सामने होता है तो खरीददार हैंडलूम के बने सामान को नहीं खरीदता है। यह बात दूसरी है कि विदेशों में एक क्रेज़ है कि हैंडलूम का बना हुआ सामान खरीदेंगे, लेकिन आम हालात में जब कोई शख्स किसी चीज को खरीदता है तो वह हैंडलूम के मुकाबले पावरलूम के बने सामान को ज्यादा पसंद करता है, यह बिल्कुल सही बात है।

दूसरा मेरा कहना यह है कि हैंडलूम के साथ ही जुड़ा हुआ पावरलूम भी है, हालांकि इस प्रश्न से इसका सीधा ताल्लुक नहीं है, लेकिन हैंडलूम के बहुत से बुनकर, जो हैंडलूम का काम करते थे और हैंडलूम से जिंदा नहीं रह सके, उन्होंने लोन्स लेकर पावरलूम लगा लिए, लेकिन पावरलूम लगने के बाद एक बड़ी प्राब्लम यह पेश आई कि चाहे बिजली मिले या नहीं मिले, उन्हें बिजली का बिल देना होता था। उनके पावरलूम नीलाम हो गए, वे जेलों में गए और उसकी वजह से भी बुनकरों ने खुदकशियां कीं। जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कंपाउंड है बिजली का बिल, कितना ही किसान खर्च करे या न करे, एक लगा बंधा पैसा उसे देना होता है तो क्या उन दोनों योजनाओं पर बुनकरों का, जो पावरलूम चलाते हैं, बिजली का बिल कंपाउंड होगा और हैंडलूम वाले जिन्हें सूत दिया जाता है, क्या सरकार उन्हें सस्ते दामों पर डिपो खोलकर केन्द्रीय योजना के तहत राज्य सरकारों को सूत उपलब्ध कराएगी?

†[شری محمد اعظم خاں: سر- بنکروں کی حالت چاہے وہ ہینڈلوم کے ہوں یا پاورلوم کے ہوں دونوں کی حالت بہت خراب ہے- دراصل ہاتھ سے کام کرنے والے بنکر ہوں یا بجلی مشین سے کام کرنے والے- جو بنیادی چیز ہے انکو زندہ رکھنے والی- انکو ترقی دینے والی وہ سوت ہے- سوت نہیں ملیگا تو کپڑا نہیں بنے گا- ساڑی نہیں بنے گی- تاول نہیں بنے گا- چادر نہیں بنے گی- کچھ نہیں بنے گا- پچھلے دنوں ایک تجربہ ہوا تھا اتر پردیش سرکار کی طرف سے جب بنکروں نے خودکشی کرنی شروع کی تھی- جسطرح کسانوں نے کی تھی اور تب سبسیڈائزڈ ریٹ پر انہیں سوت مہیا کرایا گیا تھا اور سرکاری ڈپو بھی کھولے گئے تھے- وہ اسکیم پانچ چھ مہینے چلی تھی اور اسکے بعد وہ ختم ہو گئی تھی تو کیا سرکار کے سامنے کوئی ایسی یوجنا ہے- بنکروں کو زندہ رکھنے کیلئے- انہیں روٹی دینے کے لئے- کیونکہ جس دام پر انہیں سوت ملتا ہے اس دام پر بنا ہوا سامان جب مارکیٹ میں جاتا ہے اور جب پاورلوم کا سامان بھی سامنے ہوتا ہے تو خریدار ہینڈلوم کے بنے سامان کو نہیں خریدتا ہے- یہ بات دوسری ہے کہ ودیشوں میں ایک کریز ہے کہ ہینڈلوم کا بنا ہوا سامان خریدیں گے- لیکن عام حالات میں جب کوئی شخص کسی چیز کو خریدتا ہے تو ہینڈلوم کے مقابلہ پاورلوم کے سامان کو زیادہ پسند کرتا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے-

دوسرے میرا کہنا یہ ہے کہ ہینڈلوم کے ساتھ ہی جڑا ہوا پاورلوم بھی ہے- حالانکہ اس پرشن سے اسکا سیدھا تعلق نہیں ہے

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

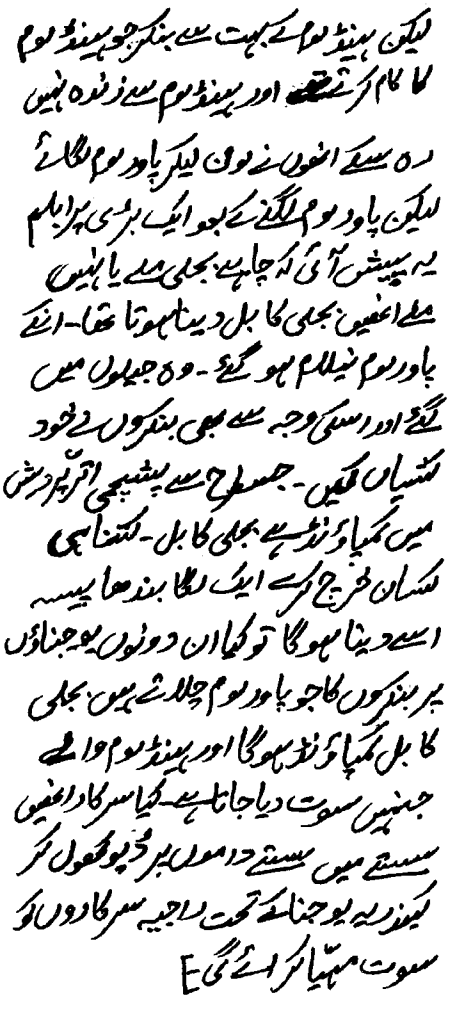

श्री काशीराम राणा: सर, वैसे हथकरघा और पावरलूम दोनों सैक्टरों में अभी रिसैशन यानी मंदी की स्थिति है, यह सही बात है। इसकी वजहें अलग-अलग हैं। हथकरघा का जहां तक सवाल है, हथकरघा क्षेत्र में आज की जो स्थिति है, क्राईसिस है, वह इसीलिए है कि जो पिछली सरकार थी, उन्होंने तीनों स्कीमें, हैंडलूम के लिए जो अच्छी स्कीमें थीं, वे तीनों स्कीम्स एक साथ बैंड कर दीं। जनता क्लॉथ स्कीम थी, वह बंद कर दी, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम थी, वह भी बंद कर दी और जो कोऑपरेटिव सोसायटीज़ के लिए यानी उपलब्ध कराने वाली एन॰सी॰डी॰सी॰ स्कीम थी, वह भी बंद कर दी। ये तीनों स्कीम्स एक साथ बंद होने की वजह से किसी को रिबेट नहीं मिला। जो हथकरघा का बना हुआ माल खरीदते थे, उनको रिबेट नहीं मिला तो स्वाभाविक है कि उनकी पसंदगी हथकरघे के बदले पावरलूम की बनी चीजों पर हो गई। लेकिन अभी हम इस दिशा में सोच रहे हैं और इसीलिए हमने हथकरघा क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए फिर से मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम शुरू कर दी है। यह स्कीम 31 मार्च, 1998 से डिसकंटीन्यू हुई थी, हमने पहली अप्रैल से इसे लागू कर दिया है 2 साल के लिए।

माननीय सदस्य ने जो बिजली के दाम के बारे में कहा है, बिजली का जो चार्ज होता है, यह बात सही है कि देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग टैरिफ है पावर का। हथकरघा के लिए नहीं लेकिन पावरलूम के लिए यह एक बड़ा सवाल है। इसके लिए मिनिस्ट्री की ओर से हमने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि पावरलूम का यूनिफॉर्म टैरिफ हो सारे देश में जिससे जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो पावरलूम से बना कपड़ा है, उसकी कॉस्ट कम हो या ईक्वल हो या यूनिफॉर्म हो। यह स्कीम हम सजेस्ट करने जा रहे हैं। मुझे इनफॉरमेशन है कि महाराष्ट्र में एकलूम पर लंपसम 165 रुपया लिया जा रहा है जब कि गुजरात में पावरलूम में 600—700 रुपया प्रति लूम देना पड़ता है। यह जो असमानता है, इसको दूर करने के लिए हम सोच रहे हैं।

श्री खान गुफरान जाहिदी: सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अभी आपने अपने जवाब में यह बात कही कि कुछ स्टेट्स में जो इमदाद, जो ऐड आपके यहां से दी गई पावरलूम को और हैंडलूम को ठीक करने के लिए, वह डाईवर्ट हुई। उसकी मॉनीटरिंग का क्या सिस्टम है? फाइनेंस मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, यह डाईवर्जन क्या आपने एलाऊ किया? इसकी मॉनीटरिंग हुई तो क्या ऐक्शन लिया आपने? उन स्टेट्स के नाम क्या हैं, मैं यह भी जानना चाहता हूं।

दूसरा सवाल यह है कि आपने अभी अपने जवाब में कहा कि हैंडलूम का कपड़ा पावरलूम के नाम से बाहर भेजा गया और इसके कुछ वाकयात आपके सामने आए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने मुल्क हैं जहां से यह कपड़ा वापस आया और आपने इसका कितना नुकसान बीयर किया? इसकी चैकिंग का कोई सिस्टम है आपके पास?

श्री काशीराम राणा: सर, राज्य सरकारों को हैंडलूम क्षेत्र के विकास की योजनाओं के अंतर्गत जो पैसे हमने दिए हैं, इसकी मॉनीटरिंग हम इस प्रकार से करते हैं कि जिस योजना के तहत जितना ऐलोकेशन हुआ, उसका यूटिलाईजेशन हुआ या नहीं, उसका यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट हम मांगते हैं। सर, जब तक हमारे द्वारा दी गई राशि का यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट नहीं आता, हम दूसरे साल के लिए दूसरे वर्ष की योजना के लिए उसे ग्रांट नहीं देते लेकिन इससे हथकरघा क्षेत्र को कोई नुकसान न हो, इसका भी हम ख्याल करके राज्य सरकार को कहते हैं कि आप तुरंत अपना यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट हमें भेजें और इस प्रकार से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पावरलूम का कपड़ा हैंडलूम का मार्का लगाकर जा रहा है।

ऐसे करीब साढ़े चार हजार केसेज में इंस्पेक्शन किया गया राज्य सरकारों की ओर से, ऐसा कानून है और हमने राज्य सरकार को वैसे अल्टीमेटम भी दिया है कि आप इसके बारे में सख्ताई से कानून का अमल करें जिससे हमारा जो हथकरघा का कपड़ा है उसको लोग खरीदें और उसका उत्पादन बढ़े। कानून का हम सख्ताई से अमल जरूर कर रहे हैं।

श्री खान गुफरान जाहिदी: यू० पी० का फंड बहुत डाइवर्ट हुआ उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? इसीलिए तो सनअत गिर रही है।

श्री काशीराम राणा: मैंने जवाब दिया है मान्यवर, कि जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आता तो हम दूसरे साल उसको पैसा नहीं देते। फिर भी इसका नुकसान हथकरघा क्षेत्र को नहीं हो उसके लिए हम राज्य सरकार को कहते हैं कि आप तुरन्त वह भेजें। लेकिन जो कई सालों से यह सिस्टम है उस सिस्टम को हम ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत थोड़े समय में यह भी ठीक हो जाएगा।

श्री खान गुफ़रान जाहिदी: चेयरमेन सर, इस पर बहस हो। ...(**व्यवधान**) पैसा अगर वहां नहीं जा रहा है और यूटिलाइजेशन सार्टिफिकेट भी नहीं आ रहा है, जैसा मेरा जानकारी है तो नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश में पूरी इण्डस्ट्री चौपट हो रही है चाहे वह हैंडलूम हो, चाहे पॉवरलूम हो। इसी के ऊपर वह डाइवर्ट कर रहे हैं फंड को, यह इत्तला हमारी है। इसलिए हमने फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब को इंवोल्व किया क्योंकि इत्तफाक से वह यहां बैठे हुए हैं। अगर वह फंड को डाइवर्ट कर रहे हैं और यूटिलाइजेशन सार्टिफिकेट नहीं भेज रहे हैं तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी, यह हमारा बुनियादी सवाल है?

श्री काशीराम राणा: सर, मैं इंफार्मेशन जरूर रखूंगा उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का आपने उल्लेख किया है उत्तर प्रदेश में इतना नहीं हुआ जहां और स्टेट में हुआ है।

SHRI S.R. BOMMAI: Sir, the main problem before the weavers is marketing. Though there was a scheme, namely, the Market Development Assistance Scheme to help the weavers in selling their produce, the Minister has mentioned that all such schemes have been stopped. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is going to revive those three schemes which were started for the benefit of weavers.

Secondly, will the Government consider purchase of cloth for uniform and other such purposes from the handloom weavers? Earlier, there was a decision to purchase cloth for such purposes from the Khadi producers. In the same way, will the Government consider the purchase of such cloth from the handloom weavers so that they may be helped to some extent?

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, all those schemes have been discontinued since 31st March, 1998. As I said earlier, one of these schemes, the Marketing Development Assistance Scheme, has been re-introduced for two years with effect from 1st April, 1998. So far as the Janata Cloth Scheme is concerned, there is an inquiry going on, since crores of rupees are involved in some kind of transactions. But the Government will look into other schemes also to help the weavers. I agree with the hon. Member's suggestion that purchase of cloth for various Government offices and departments should be done from the handlooms. We will certainly take up this matter with other ministries and departments also.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Policy for Development of Highways

*321. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the details of the highway development policy with respect to the cost of construction and award of contract to private investors on build-operate-transfer basis; and

(b) the response received so far in this regard from the private investors?

THE MINSITER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) The Highway Development Projects under BOT Scheme are awarded based on transparent, open and competitive tenders. The tenders are invited in double cover system i.e. technical offer and financial offer.

The cost of the projects in case of BOT projects is decided on the principle of least cost to the user.

(b) The response of private investors has been encouraging. A total number of 16 projects have already been awarded under BOT scheme till date as per statement annexed.

Statement

(A) Road Projects

S. No.	Project Name	NH No.	State	Cost Rs. Crores	Status
1.	*Thane-Bhiwandi By-pass	3 & 4	Maharashtra	103	Completed
2.	*Chalthan Road Over Bridge	8	Gujarat	10	Completed
3.	*Udalpur-Bypass	8	Rajasthan	24	Completed
4.	Construction of six bridges	5	Andhra Pradesh	50	In progress
5.	Coimbatore Bypass	47	Tamil Nadu	90	In progress
6.	Durg Bypass	6	Madhya Pradesh	68	Agreement signed. Finanical closure awaited.
7.	Narmada Bridge	8	Gujarat	113	In progress
8.	Nardhana ROB	3	Mahashtra	34	In progress
9.	Patalganga Bridge	1	Maharashtra	33	In progress
10.	Hubli-Dharwar By-pass	4	Karnataka	68	In progress
11.	Nellor Bypass	5	Andhra Pradesh	73	Agreement signed. Financial closure awaited.
12.	Koratalaiyar Bridge	5	Tamil Nadu	30.00	Agreement signed. Actual construction to commence
13.	Khambatki Ghat tunneed & road	4	Maharashtra	37.80	Agreement singed. Actual construction to commence.
14.	Nasirabad ROB	6	Maharasthra	10.45	Agreement singed. Actual construction to commence.
15.	Wainganga Bridge	6	Maharashtra	32.60	Agreement singed. Actual construction to commence.
16.	Mahi Bridge	8	Gujarat	42.00	Agreement singed. Actual construction to commence.
	TOTAL			818.85	

*Since completed and opened to traffic